

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0सं0आ0)/ /20, दिनांक :: फरवरी 04, 2020

—:: आदेश ::—

मुख्यालय द्वारा पूर्व निर्गत आदेशांक-09/20 दिनांक 07.01.2020 द्वारा दिनांक 06.02.20 एवं 07.02.20 के लिए मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की गयी थी, जिसमें मेरे साथ श्री नरेन्द्र कुमार-IV, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ एवं श्री अम्बेश श्रीवास्तव, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 इलाहाबाद को नामित किया गया था।

श्री अम्बेश श्रीवास्तव, सदस्य पीठ-2, इलाहाबाद द्वारा फैक्स के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि उनकी माता जी गंभीर अवस्था में है और हास्पिटल में भर्ती हैं। ऐसी स्थिति में वह मुख्यालय पर गठित उक्त पूर्ण में सम्मिलित होने में असमर्थ है।

श्री अम्बेश श्रीवास्तव, सदस्य पीठ-2, इलाहाबाद के प्रार्थनापत्र पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त गठित पूर्ण पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 06.02.20 एवं 07.02.20 के लिए श्री अम्बेश श्रीवास्तव, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 इलाहाबाद के स्थान पर श्री बुद्धेशमणि सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद को नामित किया जाता है। पूर्ण पीठ की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराया जाये।

ह0-4.2.20

(नीरजा सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/ 172/2018, तददिनांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय इलाहाबाद।


2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ।

3- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद

4-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

6-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से


निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।